उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1
संख्या:-5/2018/3875/14-1-2017-300(137)/89
लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री दिवाकर कुमार, भा0व0से0, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 (से0नि0) को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2017 को उन्हें उपार्जित अवकाश के दृष्टिगत देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-20(बी)(1) के अंतर्गत श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त व्यय लेखाशीर्ष-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-05-अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

ओम प्रकाश
विशेष सचिव।

<u>संख्या-5/2018/3875(1)/14-1-2017-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री दिवाकर कुमार, भा0व0से0, (से0नि0), 2/8, विजयंत खण्ड गोमतीनगर, नियर मिनि स्टेडियम, लखनऊ-226010
3- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in